



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2013/पौष 11, 1934

No. 1]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2013/PAUSA 11, 1934

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 1(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 में, —

(क) नियम 4 में, "वेतन मान" शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड, ग्रेड वेतन, या वेतन मान" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जनवरी, 2006 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

" 10क (1) वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 या उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन वाले किसी विशिष्ट ग्रेड में किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य या संयुक्त संघर्ष के अधिकारी की केन्द्रीय सरकार में तैनाती की जाती है तो, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा के बैंचों से संबंध रखने वाले अधिकारियों, जो दो या अधिक वर्षों से ज्येष्ठ हैं और जिनकी उस विशिष्ट ग्रेड में अब तक प्रोन्नति नहीं हुई है, को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की केन्द्रीय सरकार में तैनाती की तारीख से अकृत्यकारी आधार पर अनुसूची-V में वर्णित विभागीय छानवीन (स्क्रीनिंग) समिति की सिफारिश पर समान ग्रेड प्रदान किया जाएगा ।

(2) प्रोन्नति के लिए पात्रता और किसी विशिष्ट ग्रेड या वेतनमान में बैंचमार्क से संबंधित उपबंधों को उस ग्रेड या वेतनमान में उच्चतर वेतन मान प्रदान करने के लिए छानवीन के समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी.14017/64/2008-स्था(आरआर) तारीख 24 अप्रैल, 2009 के अनुसार पूरा किया जाएगा ।

(3) अकृत्यकारी आधार पर उच्चतर वेतन मान प्रदान करने के लिए अन्य निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार होंगी । "

(ग) " ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यकारी) " शब्द और कोष्ठक जहां-जहां वे आते हैं के स्थान पर " ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यकारी द्वितीय ग्रेड) " शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(घ) अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची 1

[देखें नियम 4 का उपनियम (1)]

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवाओं में शामिल किए गए विभिन्न ड्यूटी पदों के नाम, संख्या, वेतन बैंड, वेतनमान, ग्रेड वेतन

क्रम संख्या	पदों का ग्रेड या नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान		
			वेतन बैंड	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (प्रमुख इंजीनियर)	2	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	67000-79000 ₹	लागू नहीं होता
2	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	22	पीबी-4	37400-67000 ₹	10,000 ₹
3	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	143	पीबी-4	37400-67000 ₹	8700 ₹
4	ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यकारी द्वितीय ग्रेड)		पीबी-3	15600-39100 ₹	7600 ₹
5	ज्येष्ठ समयमान	585	पीबी-3	15600-39100 ₹	6600 ₹
6	कनिष्ठ समयमान	721	पीबी-3	15600-39100 ₹	5400 ₹

टिप्पण-1 स्वीकृत पदों के अंतर्गत अस्थायी प्रतिष्ठापन पद भी हैं और इनमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ।

टिप्पण-2 ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यकारी द्वितीय ग्रेड) अकृत्यकारी ग्रेड है और इस ग्रेड में अधिकतम पद, ज्येष्ठ समयमान और उससे उपर के सभी ड्यूटी पदों से मिलकर बनने वाले ज्येष्ठ ड्यूटी पदों के तीस प्रतिशत के बराबर होंगे। ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यकारी द्वितीय ग्रेड) में प्रचालन करने वाले पद ज्येष्ठ समयमान में उपलब्ध पदों की संख्या तक और सीमित किए जाएंगे ।"

(ङ) अनुसूची-3 में —

(i) " [नियम 7 के उपनियम (2) का खंड (ग) और उपनियम (3) देखें] " कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर " [नियम 7 के उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) तथा नियम 7 का उपनियम (3) देखें] " कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या 1 पर स्तम्भ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

" वेतन बैंड 4, 37400-67000 ₹ में 10,000 ₹ ग्रेड वेतन में ऐसे ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है ; या समूह 'क' में 25 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी, जिसमें से कम-से-कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होनी चाहिए ।"

- (iii) क्रम संख्या 2 पर स्तम्भ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
 " वेतन बैंड 4 , 37400-67000 रु में 8700 रु ग्रेड वेतन में ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है ; या समूह 'क' में 17 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी, जिसमें से कम-से-कम एक वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होनी चाहिए ।"
- (iv) क्रम संख्या 3 पर स्तम्भ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, और इन्हें 18 मार्च, 2008 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-
 " वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु में 6600 रु ग्रेड वेतन में ऐसे ज्येष्ठ समयमान अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है जिसमें वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु में 7600 रु ग्रेड वेतन में ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यकारी द्वितीय ग्रेड) में की गई सेवा भी है ; या ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' में 13 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है जिसमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ समयमान में होनी चाहिए जिसमें ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यकारी द्वितीय ग्रेड) में की गई सेवा भी है ।"
- (v) क्रम संख्या 4 पर स्तम्भ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
 " वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु में 6600 रु ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले ज्येष्ठ समयमान में अधिकारी ।"
- (vi) क्रम संख्या 5 पर स्तम्भ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
 " वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु में 5400 रु ग्रेड वेतन में चार वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले कनिष्ठ समयमान में अधिकारी ।"
- (vii) क्रम संख्या 6 पर स्तम्भ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
 "सिविल संनिर्माण खंड के सहायक इंजीनियर को छोड़कर, आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऐसे सहायक इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु में 4800 रु ग्रेड वेतन में 2 वर्ष नियमित सेवा की है ।"
- (viii) क्रम संख्या 6 में स्तम्भ (3) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि "(i) 50% प्रोन्नति" के स्थान पर "(i) नियम 7 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में 50% प्रोन्नति" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ix) निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 "टिप्पण - न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अंशधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।"
- (च) अनुसूची- IV के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जनवरी, 2006 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

**" अनुसूची -V
[नियम 10(क) का उपनियम (1) देखें]**

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में अकृत्यकारी उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति की संरचना

क्रम सं.	पद का नाम	समूह 'क' छानबीन समिति (अकृत्यकारी उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए)
(1)	(2)	(3)
1	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (प्रमुख इंजीनियर)	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 3. महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य
2	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 3. महानिदेशक, दूरदर्शन - सदस्य
3	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 3. प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी - सदस्य 4. प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन - सदस्य
4	ज्येष्ठ समयमान (अकृत्यकारी द्वितीय ग्रेड)	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी - सदस्य 4. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन - सदस्य
5	ज्येष्ठ समयमान	1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी - सदस्य 4. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन - सदस्य
6	कनिष्ठ समयमान	लागू नहीं होता।"

[फा. सं. 501/2/2010-बीए(ई)]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (बी-II)

स्पष्टीकारक ज्ञापन. — केन्द्रीय सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के निबंधनों और शर्तों को 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित कर दिया है। तदनुसार छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उसी तारीख से भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा के सदस्यों को अकृत्यकारी उन्नयन प्रदान करने के लिए भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा संशोधन नियम, 1981 को 1 जनवरी, 2006 से संशोधित कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुसूची 3 के स्तंभ (4) के क्रम सं. 3 के उपबंधों को माननीय उच्चतम न्यायालय के 2010 के सिविल अपील सं.1902 में विनिश्चय के मद्देनजर संशोधित किया गया है और इन्हें 18 मार्च, 2008, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा संशोधन नियम, 2008 की अधिसूचना की तारीख से संशोधित किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा के किसी सदस्य के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.578 (अ), तारीख 5 नवम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे -

सा.का.नि.	तारीख
573 (अ)	20 सितम्बर, 1982
726	6 सितम्बर, 1986
774	17 अक्टूबर, 1987
868	21 नवम्बर, 1987
266	8 अप्रैल, 1989
187(अ)	18 मार्च, 2008

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2013

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service Amendment Rules, 2013.
(2) Save as otherwise provided in these rules they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, —
 - (a) In rule 4, for the words "scales of pay" the words "pay band, grade pay or pay scale" shall be substituted.
 - (b) after rule 10, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted, with effect from 1st day of January, 2006, namely:-

"10 A (1) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State or Joint Cadre is posted in Central Government to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3 or Pay Band 4 or Higher Administrative Grade, the officers belonging to the batches of Indian Broadcasting (Engineers) Service who are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officers in that particular grade in Central Government on the recommendation of the Departmental Screening Committee mentioned in Schedule -V.

(2) The provisions relating to eligibility for promotion and 'benchmark' to a particular grade or pay scale shall be fulfilled at the time of screening for grant of higher pay scale in that grade or pay scale in accordance with the Office Memorandum No. AB.14017/64/2008-Estt.(RR), dated the 24th April 2009 of Department of Personnel and Training.

(3) The other terms and conditions for grant of higher pay scale on Non-Functional basis shall be in accordance with the orders and instructions issued by the Central Government from time to time."
 - (c) for the words and brackets "Senior Time Scale (Non-Functional)" wherever they occur, the words and brackets "Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade)" shall be substituted.

54/13-2

(d) for Schedule-I, following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

[See sub-rule (1) of rule 4]

Name, number, pay band, pay scale, grade pay of duty posts included in the various Grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Services

S. No.	Grade or name of posts	Number of sanctioned posts	Pay band, grade pay or pay scale		
			Pay band	Pay scale	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Higher Administrative Grade (Engineer-in-Chief)	2	Higher Administrative Grade	Rs.67000-79000	Not applicable
2	Senior Administrative Grade	22	PB-4	Rs.37400-67000	Rs. 10000
3	Junior Administrative Grade	143	PB-4	Rs.37400-67000	Rs. 8700
4	Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade)		PB-3	Rs.15600-39100	Rs. 7600
5	Senior Time Scale	585	PB-3	Rs.15600-39100	Rs. 6600
6	Junior Time Scale	721	PB-3	Rs.15600-39100	Rs. 5400

Note 1 .- The number of sanctioned posts includes temporary installation posts and is subject to variation depending on workload.

Note 2. Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) is non-functional grade and the maximum number of posts in this grade shall be equal to thirty percent of the senior duty posts consisting of all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Cadre. The number of posts to be operated in the Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) will be further limited to the number of posts available in Senior Time Scale."

(e) in Schedule-III —

(i) for the brackets, words, letters and figures "(See clause (C) of sub-rule (2), and (3) of rule 7)" the brackets, words, letters and figures "[See clauses (a) and (b) of sub-rule(2) of rule 7 and sub-rule (3) of rule 7]" shall be substituted;

(ii) for the existing entries in column (4), relating to the posts against serial number 1, the following entries shall be substituted, namely:-

"Officers in the Senior Administrative Grade in pay band-4, Rs. 37400-67000 with grade pay Rs. 10,000 with three years regular service in the grade ; or Officers with 25 years' of regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year regular service should be in the Senior Administrative Grade."

- (iii) for the existing entries in column (4), relating to the posts against serial number 2, the following entries shall be substituted, namely:-

“Officers in the Junior Administrative Grade in pay band-4, Rs.37400-67000 with grade pay Rs. 8700 with three years' regular service in the grade or Officers with 17 years regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year regular service should be in the Junior Administrative Grade.”

- (iv) for the existing entries in column (4), relating to the posts against serial number 3, the following entries shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, with effect from 18th March, 2008, namely:-

“Officers in the Senior Time Scale in pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay Rs. 6600 with nine years' regular service in the grade including the service, if any, rendered in Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) in pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay Rs. 7600; or Officers who have completed 13 years of regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years of regular service should be in the Senior Time Scale including the service, if any, rendered in Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade).”

- (v) for the existing entries in column 4 relating to the posts against serial number 4, the following entries shall be substituted, namely:-

“Officers in the Senior Time Scale in pay band-3, Rs. 15600-39,100 with grade pay Rs. 6600 with five years of regular service in the grade.”

- (vi) for the existing entries in column 4, relating to the posts against serial number 5, the following entries shall be substituted, namely:-

“Officers in Junior Time Scale in pay band-3, Rs.15600-39,100 with grade pay Rs. 5400 with four years of regular service in the grade.”

- (vii) for the existing entries in column 4, relating to the posts against serial number 6, the following entries shall be substituted, namely:-

“Assistant Engineers of the All India Radio and Doordarshan excluding those in Civil Construction Wing in pay band-2, Rs.9300-34,800 with grade pay Rs. 4800 with two years' regular service in the grade”

- (viii) for the existing entry against the post at serial number 6, under column 3, for the entry “(i) 50 % by Promotion” the entry “(i) 50 % by promotion in accordance with clause (b) of sub-rule(2) of rule 7” shall be substituted;

54/13-3

(ix) the following Note shall be inserted, namely:-

“Note.- For the purpose of computing minimum qualifying service, the service rendered by an officer prior to the 1st day of January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.”

(f) after Schedule-IV, the following Schedule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of January, 2006 namely :-

“SCHEDULE- V

[See sub-rule (1) of rule 10 (A)]

Composition of Screening Committee for considering cases of Non Functional Up-gradation (NFU) in the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

Sl. No.	Name of the post	Group 'A' Screening Committee (for considering cases of Non Functional up-gradation)
(1)	(2)	(3)
1	Higher Administrative Grade (Engineer-in-Chief)	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Chairman 2. Director General, All India Radio-Member 3. Director General, Doordarshan-Member
2	Senior Administrative Grade	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Chairman 2. Director General, All India Radio-Member 3. Director General, Doordarshan-Member
3	Junior Administrative Grade	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member 3. Engineer-in-Chief, All India Radio-Member. 4. Engineer-in-Chief, Doordarshan-Member
4	Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade)	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member. 3. Chief Engineer , All India Radio-Member 4. Chief Engineer, Doordarshan-Member
5	Senior Time Scale	1. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member 3. Chief Engineer , All India Radio-Member 4. Chief Engineer, Doordarshan-Member
6	Junior Time Scale	Not applicable”

[F. No. 501/2/2010-BA(E)]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy. (B-II)

EXPLANATORY MEMORANDUM. — The Central Government has revised the terms and conditions of services of Government employees in compliance to the acceptance of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission recommendations, with effect from the 1st day of January, 2006. Accordingly, to grant the Non-Functional Up-gradation to the members of Indian Broadcasting (Engineers) Service from the same date, in accordance with the recommendations of the Sixth Central Pay Commission recommendations, Indian

Broadcasting (Engineers) Service Amendment Rules, 1981 have been amended with effect from 1st day of January, 2006. Similarly, provisions of column (4) of Schedule III against the post at serial number 3 has been amended in view of judgment dated the 11th February, 2010 of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 1902 of 2010 and the same has been amended with effect from the 18th March, 2008, that is, the date of notification of the Indian Broadcasting (Engineers) Service Amendments Rules, 2008.

It is certified that no member of Indian Broadcasting (Engineers) Service is likely to be adversely affected by the notification being given retrospective effect.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 578(E), dated the 5th November, 1981 and were subsequently amended by –

G.S.R. No.	Date
573(E)	20 th September, 1982
726	6 th September, 1986
774	17 th October, 1987
868	21 st November, 1987
266	8 th April, 1989
187(E)	18 th March, 2008